न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/215

1. मुरली मनोहर आत्मज मांग्या जी जाति कुम्हार ।
2. मोहन बाई पुत्री मांग्या जी जाति कुम्हार ।
3. बालचन्द पुत्री मथुरा जाति कुम्हार ।
4. सीताबाई पुत्री मथुरा जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम हीरियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रूपेश श्रृंगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 03.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 22.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हीरया खेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में माफी रिज्यूम खेल भराई समस्त ग्राम वासियान सहित मांग्या, मथुरा पिसरान रामा कुम्हार के नाम 04 किता की 22 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 03, 09, 10, 11, 14, 15, 2021, 29, 30 एवं 31 कुल 11 किता रकबा 3.58 हैक्टर कायम किये गये हैं। मांग्या व मथुरा पिसरान रामा जी अपने जीवनकाल में खेल भराई का काम करते थे । ग्राम वासियान ने कभी भी खेल भराई का काम नहीं किया और उनकी मृत्यु के बाद वादीगण खेल भराई का काम करते चले आ रहे थे व उक्त भूमि को काश्त करते चले आ रहे हैं । मांग्या व मथुरा की मृत्यु के बाद उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में माफी खेल भराई समस्त ग्राम

वासियान मुरली मनोहर आत्मज मांग्या, मोहनबाई पुत्री मांग्या, बालचन्द्र पुत्र मथुरा कजोडी बाई, सीता बाई पुत्री मथुरा जाति कुम्हार के नाम दर्ज चली आ रही है । ग्राम वासियान द्वारा खेल भराई नहीं करने व माफी रिज्यूम हो जाने से उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में माफी खेल भराई समस्त ग्राम वासियान का नाम हाटाया जाना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी जो माफी रिज्यूम खेल भराई की भूमि है के राजस्व रिकॉर्ड में से खेल भराई समस्त ग्राम वासियान का नाम जाटाया जाकर वादीगण का नाम रहने व खातेदार दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करे और न ही वादीगण को बेदखल करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2019 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के परिप्रेक्ष्य में प्रभावी कानून द राजस्थान लैण्ड रिफोर्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट, 1952 का विवेचन किये बिना ही सरसरी तौर पर दावा वादीगण खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पूर्वज मांग्या व मथुरा को खेल भराई के एवज में बक्शीश में प्राप्त हुई थी तथा तत्समय से ही वादीगण अपीलान्ट के पूर्वज व उनके स्वर्गवास के उपरान्त से वादीगण अपीलान्ट उक्त आराजी पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । राजस्थान लैण्ड रिफोर्म्स रिजप्शन ऑफ जागीर एक्ट, 1952 के प्रभावशील होने के समय वादीगण अपीलान्ट के पूर्वज उक्त भूमि में कृषक के रूप में दर्ज रिकॉर्ड थे और वे बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः ही उक्त आराजी के खातेदार बन गये हैं । राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही माफी खेल भराई के स्थान पर माफी खेल भराई समस्त ग्राम वासियान अंकित कर दिया जो पूर्णतया अवैध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात और जागीर एक्टर 1952 का विवेचन किये बिना वादीगण का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी वादीगण के पूर्वज मांग्या एवं मथुरा को खेल भराई कार्य के एवज में प्राप्त हुई थी । इस पर वादी अपीलान्ट का निरन्तर काबिज काश्त है । जागीर एक्ट, 1952 जब प्रभाव में आया तब अपीलान्ट के पूर्वज इस आराजी पर कृषक के रूप में दर्ज रिकॉर्ड थे । इस कारण बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार बन गये हैं । वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी से यह तथ्य भली –

भांति प्रमाणित था । संवत् 2014 से 2033 में केवल मात्र माफी खेल भराई तथा कृषक के रूप में में वादीगण अपीलान्ट के पूर्वज मांग्या, मथुरा पिसरान रामा दर्ज है । संवत् 2034 के उपरान्त राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही क्षेत्राधिकार से परे जाकर माफी खेल भराई के स्थान पर माफी खेल भराई समस्त ग्राम वासियान अंकित कर दिया जो कि पूर्णतया अवैध एवं गैर कानूनी है । तनकीयात की विवेचना विधि – विरूद्ध रूप से की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी माफी खेल भराई की भूमि है जिस पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान हीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2019 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2018–2021 संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी माफी रिज्यूम खेल भराई समस्त ग्रामवासियान सहित मांग्या, मथुरा पिसरान रामा के नाम दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2014–33 में वादग्रस्त आराजी माफी खेल भराई और कॉलम संख्या 04 में मांग्या और मथुरा पिसरान रामा कौम कुम्हार दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2034–37 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी माफी खेल भराई समस्त ग्राम वासियान और कॉलम संख्या 05 में मांग्या, मथुरा पिसरान रामा दर्ज है । पत्रावली पर नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2014 से 2033 संलग्न है। नकल नक्शा ट्रेस संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2068–2071 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी माफी खेल भराई समस्त ग्राम वासियान मुरली मनोहर पुत्र मांग्या, मोहनबाई पुत्री मांग्या, बालचन्द पुत्र मथुरा कजोडी बाई, सीताबाई पुत्रियॉ मथुरा जाति कुम्हार के नाम दर्ज है । इसके अलावा पत्रावली पर कुछ खसरा गिरदावरी की नकलें भी संलग्न की गई हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2038–41 में वादग्रस्त आराजी माफी रिज्यूम खेल भराई समस्त ग्राम वासियान, मांग्या, मथुरा पि0 रामा दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 103 का नोट अंकित है ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी में संवत् 2014–33 की नकल जमाबन्दी में सिर्फ मांफी खेल भराई अंकित था और बाद की जमाबन्दी संवत् 2034–37 में समस्त ग्रामवासियान का नाम खेल भराई के साथ जोड दिया गया है । राजस्व कर्मचारियों को इस तरह का इन्द्राज करने का कोई अधिकार नहीं है ।

11. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में आराजी माफी खेल भराई समस्त ग्रामवासियान दर्ज है । अतः इस प्रकरण में ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है |साथ ही वादी के द्वारा साक्ष्य में गवाहों के जो शपथ पत्र पेश किये गये हैं उनके द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्रों की ताईद नहीं की है और न ही पेश किये दस्तावेजात को प्रदर्श करवाया गया है जो सीपीसी की पालना में आवश्यक है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । हम इस प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

24/

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 10 व 11 में किये गये विवेचन के अनुसार ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाकर वादी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्रों को न्यायालय से तस्दीक करवाया जाकर पेश किये गये दास्तावेजात को प्रदर्श करवाया जाए प्रतिवादी को भी रिबटल में साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया जाकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । साथ ही यह भी जॉच की जावे कि सेटलमेंट से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी में माफी खेल भराई के साथ ग्रामवासियान का नाम अंकित था अथवा नहीं । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा